The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 2 | February 2024
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

कानपुर नगर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की स्थिति में महिला साक्षरता की भूमिका का अध्ययन

प्रीती अवस्थी

शोधार्थिनी, डी०ए०वी० पी०जी० कालेज,कानपुर, सम्बद्ध–छत्रपति षाहू जी महाराज विष्वविद्यालय, कानपुर, उ०प्र०

डॉ0 हनी मिश्रा

शोध पर्यवेक्षिका, डी०ए०वी० पी०जी० कालेज,कानपुर, सम्बद्ध–छत्रपति षाहू जी महाराज विष्वविद्यालय, कानपुर, उ०प्र०

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :
स्वयं सहायता समूह, एसएचजी कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, उद्यमषीलता विकास, सषक्तिकरण

ABSTRACT

यह शोध सारांश अध्ययन कानपुर नगर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थिाति में महिला साक्षरता की भूमिका की जांच करता है। इसका उद्देष्य यह समझना है कि महिलाओ की साक्षरता स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कामकाज और परिणामों के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है। अध्ययन स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के भीतर महिलाओं की साक्षरता के स्तर और भागीदारी, निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमषीलता विकास पर इसके प्रभाव का पता लगाता है। यह स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में महिला साक्षरता से जुड़े सषक्तिकरण और आत्मविष्वास निर्माण के पहलुओं की भी जांच करता है। डेटा सर्वेक्षण, साक्षात्कार और मौजूदा साहित्य के विष्लेषण के माध्यम से एकत्र किया जाता है। निष्कर्ष कानपुर नगर में स्वयं सहायता समूह के भीतर महिला साक्षरता की वर्तमान स्थिति में अंतर्दृष्टि

प्रदान करते हैं और महिलाओ को सषक्त बनाने और एसएचजी प्रभावषीलता को बढ़ाने के लिये सक्षरता कार्यक्रमो और पहलो के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्ययन कानपुर नगर में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने और एसएचजी को मजबूत करने के लिए नीतिगत चर्चाओं और हस्तक्षेपों में योगदान देता है।

परिचय

राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का सषक्तिकरण महत्वपूर्ण है। राष्ट्र भर में साक्ष्य सुझाव देते हैं कि माइक्रो–क्रेडिट के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सषक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सषक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये एक षक्तिषाली उपकरण के रुप में उभरी है। भारत में महिलाओं को जमीनी स्तर सषक्त करने के उद्देष्य से (2001) महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर आठ पंचवर्षीय योजना (1992–1997) में केंद्रित किया गया था और अस्तित्व, सुरक्षा और विकास सुनिष्चित करना दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की देखभाल की गई। ग्रामीण गरीबों विषेष रुप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया ताकि वे इसे अपना सकें बैंक ऋणों की सहायता से निरंतर अपने दम पर आर्थिक गतिविधियों द्वारा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उत्तर प्रदेष राज्य के प्रमुख षहरो में से एक, कानपुर ने महिलाओं और उनके उनके समुदायों के जीवन में सुधार लाने के उद्देष्य से कई कामकाजी स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और वृद्धि देखी है। ये एसएचजी महिलाओं को एक साथ आने, अपने संसाधनों को एकत्रित करने और विभिन्न आय–सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करते है। कानपुर नगर के संदर्भ में, इन कार्यरत स्वयं सहायता समहों की स्थिति और कार्यप्रणाली में महिला साक्षरता की भूमिका को समझना आवष्यक है। साक्षरता महिलाओं को सषक्त बनाने और उन्हें एसएचजी

में सक्रिय रुप से भाग लेने और उनकी सफलता में योगदान देने के लिये आवश्यक ज्ञान और कौषल से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी साक्षरता के स्तर को बढ़ाकर, महिलाएं जानकारी को समझने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने और अपने समूह के वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता हासिल करती है।

अध्ययन क्षेत्रः–

कानपुर नगर उत्तर प्रदेष राज्य का एक महत्वपूर्ण षहर है। यह नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेष के आर्थिक एवं वाणिज्यिक व्यवसाय का मुख्य केन्द्र है। कानपुर भारत के प्रमुख षहरो में से एक है और इनकी जनसंख्या लगभग 30 लाख से अधिक इसका भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित सीमाओं तक होता है। उत्तर में पुक्का पुल, दक्षिण में जूही पुल, पूर्व में षिवराजपुर और पष्चिम में सरसौल। कानपुर नगर लगभग 26.44 उत्तरी अक्षांष और 80. 33 पूर्वी देषान्तर पर स्थित है। कानपुर नगर की औसत ऊचांई समुद्र तल से 126 मी० (413 फीट) हैं। कानपुर नगर का कुल क्षेत्रफल लगभग 403 वर्ग किमी० (156 वर्ग मील) हैं। कानपुर नगर की सीमाये कई जिलो से लगती है, जिसमें कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, कन्नौज और हमीरपुर शामिल है। यह नगर उद्योग, वाणिज्य, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, षिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानपुर नगर के भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य नगरीय क्षेत्र, विषेष और अद्योगिक क्षेत्र शामिल है **(चित्र संख्या–1)**

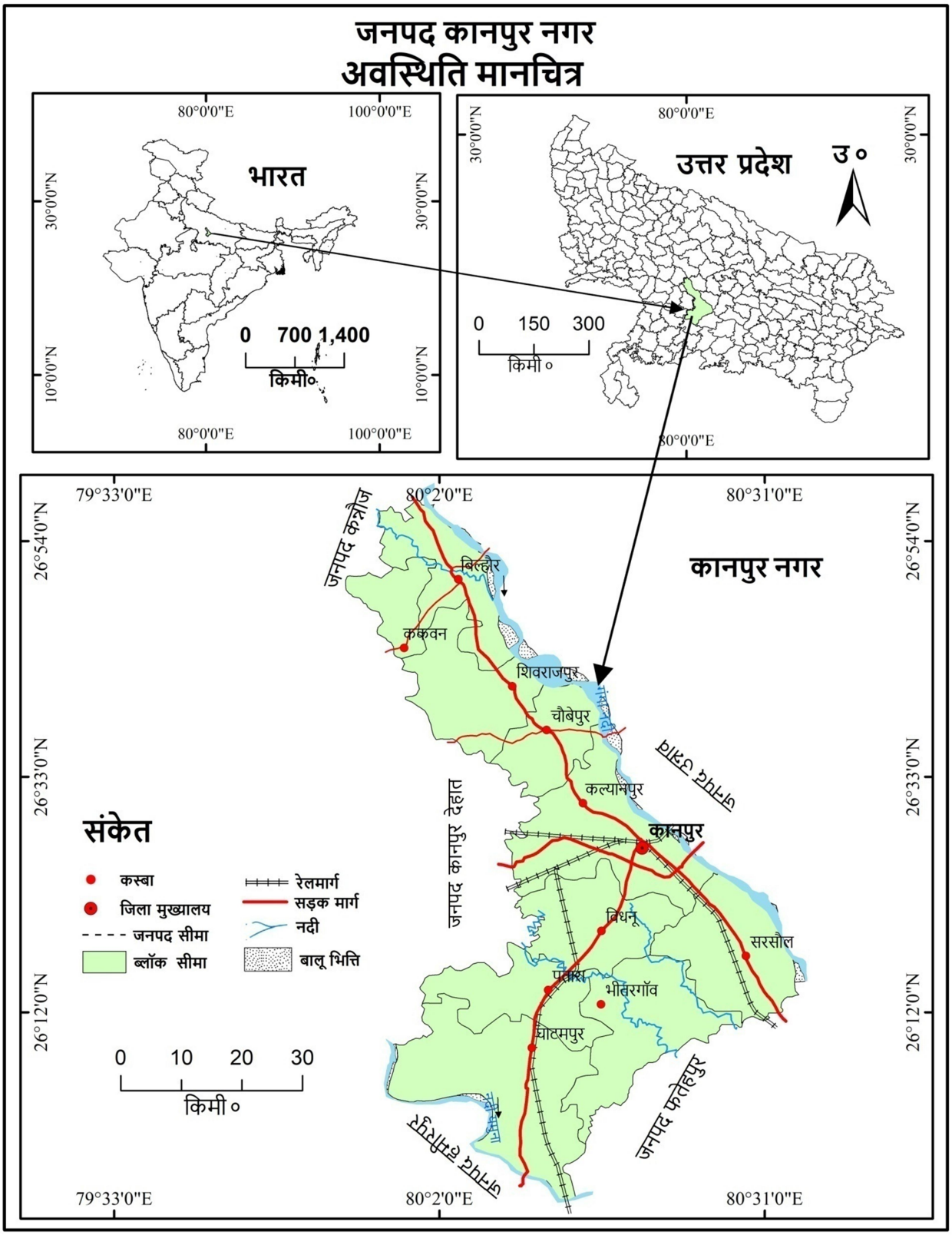

कानपुर षहर में स्वयं सहायता समूहो की पृष्ठ भूमिः–

स्वयं सहायता समूहो (एसएचजी) ने कानपुर षहर में महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त किया है, जो भारत के उत्तर प्रदेष राज्य में स्थित है। एसएचजी समुदाय–आधारित संगठन है जिनमें व्यक्तियों का एक छोटा समूह शामिल होता है, मुख्य रुप से महिलाओं, जो सामान्य सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय चुनौतियो का समाधान करने के लिये एकसाथ आती है। यह समूह महिलाओ को सामूहिक रुप से पैसे बचाने, ऋण प्राप्त करने और आय–सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिये एक मंच प्रदान करते है। कानपुर नगर में, स्वयं सहायता समूह महिला सषक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये एक षक्तिषाली उपकरण के रुप में उभरे है। वे महिलाओ को अपने कौषल को बढ़ाने, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओ में सक्रिय रुप से भाग लेने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। सरकारी एजेंसियो, गैर सरकारी संगठनो (एनजीओ) और माइक्रोफाइनेन्स संस्थानो के समर्थन से षहरी और अर्द्ध–षहरी क्षेत्रो में एसएचजी की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

कानपुर में एसएचजी की स्थापना और वृद्धि का श्रेय विभिन्न कारको को दिया जा सकता है। सबसे पहले, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन (एनआरएलएम) और इसके राज्य स्तरीय समकक्ष, उत्तर प्रदेष ग्रामीण आजीविका मिषन (यूपीआरएलएम) द्वारा की गई पहल से एसएचजी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कार्यक्रम एसएचजी को क्षमता निर्माण, प्रषिक्षण, वित्तीय सम्बन्ध और बाजार पहुंच प्रदान करते है, जिससे उनकी स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, प्रगति के बावजूद, कानपुर में एसएचजी के निरन्तर विकास और प्रभाव को सुनिष्चित करने में चुनौतियां बनी हुई है। इन चुनौतियो में ऋण तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त बुनियादी ढ़ाँचा, बाजार संबंधो की कमी और निरन्तर क्षमता निर्माण और कौषल विकास की आवष्यकता षामिल है। इन चुनौतियो से निपटने के लिये आवष्यक सहायता प्रदान करने और कानपुर नगर में एसएचजी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवष्यकता है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्य प्रणाली महिलाओ कि असामाजिक व आर्थिक सषक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिये एक आपसी सहायता और संगठन ढ़ाँचा है। एसएचजी कार्य प्रणाली निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित होती हैः

समूह गठनः महिलाओ को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या व्यवसायिक मुद्दो पर बातचीत और सहयोग के लिये समूहो में एकत्रित किया जाता है। सामूहिक गतिविधियो के माध्यम से महिलायें एक दूसरे का समर्थन करती है और साझा समस्या का समाधान ढूंढ़ती है।

आवंटन और निगरानीः स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में सदस्यों के बीच साझा सदस्यता बनाई जाती है और समूह द्वारा संगठित निधि प्रबंधित की जाती है। इसके माध्यम से सदस्यो को वित्तीय संसाधनो का उपयोग करने की सुविधा मिलती है और निगरानी द्वारा उनकी सदस्यता की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी की जाती है।

प्रषिक्षण और कौषल विकासः स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को आवश्यक कौषलों और नवाचारो के लिये प्रषिक्षण और गुणवत्ता विकास की सुविधा प्रदान करती हैं। इससे महिलायं अधिक आत्मनिर्भर बनती है और अपनी क्षमताओ को विकसित कर सकती है।

आर्थिक सहायताः स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को वित्तीय सहायता द्वारा आर्थिक रुप से सषक्तिकरण का लाभ मिलता है। समूह द्वारा नियोजित ऋण या चन्दा प्रदान करके, सदस्यो को उचित मूल्य स्तर पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से महिलाओं को व्यवसायिक गतिविधयो के लिये आर्थिक संसाधनो की पहुंच मिलती है और वे अपना व्यापार चला सकती है।

सामाजिक परिवर्तनः स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा महिलाओं का एक आपसी समर्थन और साझेदारी महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन की दिषा में सषक्त करता है। यह महिलाओं को सामाजिक प्रगति, स्वतंत्रता और सम्मान के माध्यम से आपसी सहयोग और सामाजिक परिवर्तन का आनन्द उठाने की सुविधा प्रदान करता है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्य प्रणाली महिलाओ को स्वतंत्र और सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माध्यमो में सक्रियता और गतिविधि के लिये सक्रिय करता है। एसएचजी समूहो के माध्यम से महिलाओं में स्वतंत्र उद्यमता

का प्रोत्साहन किया जाता है और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर किया जाता है **(चित्र संख्या 2)**।

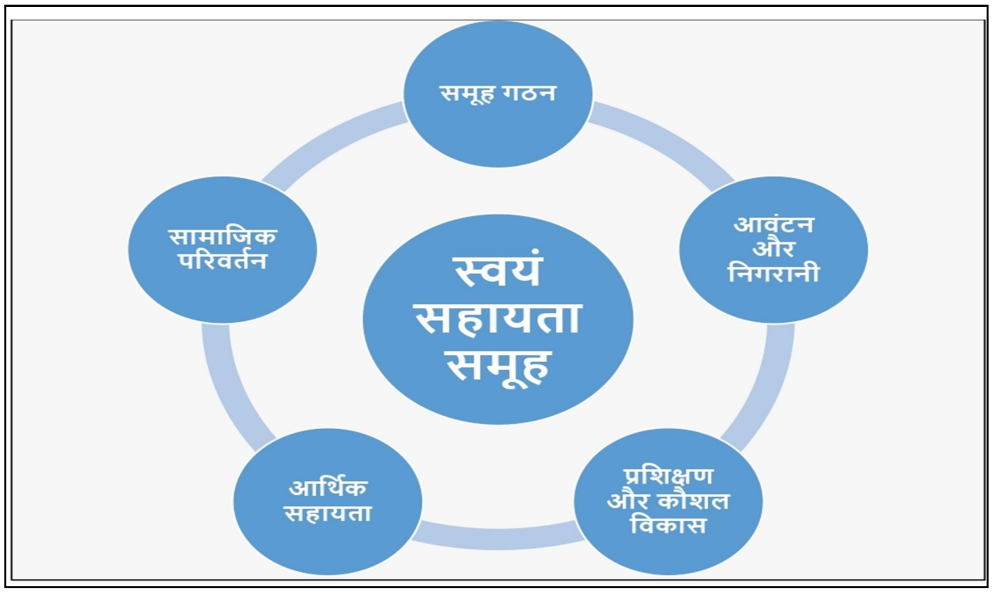

भागीदारी और निर्णय लेना

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्यप्रणाली में भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण तत्व हैं। सदस्यों के बीच साझेदारी के बीच साझेदारी का महत्व रखा जाता है और सभी सदस्यों को समान अवसरों ओर सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। इसके अलावा, सदस्यों को समूह के निर्णयों में सक्रिय रुप से भाग लेने का अधिकार होता है। सदस्यों के बीच सम्मति और साझेदारी के माध्यम से समूह के निर्णय लिए जाते हैं, जो उन्हें आपसी समझौते और संगठन की गतिविधियों के लिए दिषा निर्देषित करने में मदद करता हैं। एसएचजी कार्यप्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया बाजार की तरह कार्य करती है, जहां सदस्यो की आवाज, एक मान्यता प्राप्त करती हैं। सदस्यों को समूह के विभिन्न निर्णयों में सम्बन्धित अंषो के लिये मतदान करने का अधिकार होता है, जैसे निवेष, कारोबारी नियमों, और सामूहिक गतिविधियो को आगे बढ़ाने के लिए आवष्यक निर्णयों का लेना। सदस्यों के द्वारा लिए गए निर्णयों का अधिकारिक स्वरुप और

उनकी पालन किया जाता है ताकि समूह का अच्छा चलन और सदस्यों की हित की सुरक्षा हो सके।

इस प्रकार, भागीदारी और निर्णय लेना स्वयं सहायता समूह कार्यप्रणाली में महिलाओं को सषक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें स्वतंत्रता और निर्णय की आवष्यकता की पहुंच प्रदान करता है और उन्हे सामूहिक सहयोग और समर्थन के बिल्कुल सही है कि एसएचजी कार्यप्रणाली में भागीदारी और निर्णय लेना महिलाओ के सषक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां महिलाये सदस्यो के रुप में समूहो में शामिल होती है और संझा निर्णय लेने में सक्रिय रुप से हिस्सा लेती है। सदस्यो की आवाज को महत्व दिया जाता है और सदस्यो को समूह के संचालन और निर्णय करने मे सहयोग की सुविधा प्रदान की जाती है। भागीदारी, एसएचजी कार्यप्रणाली की सषक्तता का एक महत्वपूर्ण घटक है जहां सदस्यो को सामूहिक गतिविधियो में सक्रिय रुप से भाग लेने का अवसर मिलता हैं। यह सदस्यो में एक भागीदारी की भावना विकसित करता है और उन्हे उनके विचारो, मतभेदो और समस्याओ के बारे में बातचीत करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा, भागीदारी से उन्हे समूह के निर्णयो में अपनी मतदान क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलता है।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिला साक्षरता की भूमिका

कानपुर षहर में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिला साक्षरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह महिलाओं को सषक्त बनाती है और उनके समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देती है। थंगामणि, एस़, और मुथुसेल्वी, एस. (2013) के द्वारा कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे महिला साक्षरता कानपुर में एसएचजी को प्रभावित करती है:

1. **भागीदारी में वृद्धि:**साक्षरता महिलाओं को समूह गतिविधियों, वित्तिय प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर एसएचजी में सक्रीय रुप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। यह उन्हे प्रभावी ढंग से योगदान करने और समूह के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है।
2. **उन्नत वित्तिय प्रबन्धनः** एसएचजी साक्षर महिलाएं ऋण समझौते, बैंक विवरण और व्यवसायिक रिकॉर्ड सहित वित्तीय दस्तावेजों को पढ़, लिख और समझ सकती है। यह

साक्षरता उन्हें अपने समूह के वित्त का प्रबंधन करने, सटीक रिकार्ड रखने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे समूह के सदस्यों के लिए बेहतर आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. **सूचना तक पहुंचः** साक्षरता, महिलाओं को सरकारी योजनाओं, बाजार के रुझान, स्वास्थ्य और षिक्षा पर जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। वे समाचार पत्र पढ़ सकती है, इन्टरनेट ब्राउज कर सकी हैं और लिखित सामग्री को समझ सकती हैं। जिससे उन्हे अवसरों, संसाधनो और विकास के बारे में सूचित रहने में मदद मिलती हैं जो उनके एसएचजी और व्यक्तिग आजीविका को लाभ पहुंचाती है।
4. **बेहतर संचार और बातचीत कौषलः** साक्षरता, स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ के बीच प्रभावी संचार और बातचीत कौशल को बढ़ावा देती है। वे अपने विचारो, चिन्ताओं और राय को अधिक आत्मनिर्भर से व्यक्त कर सकती है और बैंको, सरकारी अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओ जैसे बाहरी हितधारको के साथ व्यवहार करते समय अपनी आवश्यकाओ को स्पष्ट कर सकती है। इससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार होता है और उनके समूह के लिये बेहतर परिणाम प्राप्त होते है।
5. **उद्यमषीलता विकासः** महिला साक्षरता, एसएचजी के भीतर उद्यमषीलता विकास को बढ़ावा देती है। बेहतर पढ़ने और लिखने के कौषल के साथ, महिलाये प्रषिक्षण सामग्री तक पहुंच सकती है, व्यवसायिक अवधारणाओ को समझ सकती है और व्यवसायिक योजनाये विकासित कर सकती है। वे अपने उत्पादो या सेवाओ का विपणन भी कर सकते है, ई–कामर्स में संलग्न हो सकती है और अपनी व्यवसायिक पहुंच का विस्तार करने के लिये डिजिटल प्लेटफार्म पर नेविगेट कर सकती हैं।
6. **सषक्तिकरण और आत्मविष्वास निर्माणः** साक्षरता, स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ के बीच व्यक्तिगत विकास, सषक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। यह उन्हे पारम्परिक लिंग भूमिकाओ और रुढ़िवादिता को चुनौती देने, अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लने की प्रक्रियाओ में सक्रिय रुप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। इस बढ़े हुये

आत्म–सम्मान और सषक्तिकरण का उनके परिवारो, समुदायो और बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

7. स्वयं सहायता समूहो (एसएचजी) में महिला साक्षरता की भूमिका का समर्थन करने के लिये, विभिन्न पहल की जा सकती है, जिसमें वयस्क साक्षरता कार्यक्रमो को बढ़ावा देना, व्यवसायिक प्रषिक्षण कार्यषालाओ का आयोजन करना और सूचना और संसाधनो तक पहुंच प्रदान करना षामिल है। सरकारी एजेंसियो, गैर सरकारी संगठनो और षैक्षणिक संस्थानो के बीच सहयोग महिला साक्षरता के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने और कानपुर शहर में एसएचजी के प्रभाव को अधिकतम करने में मदद कर सकता है।

विष्लेषण

व्यापक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, तालिका की आवष्यकता है जिसमें प्रतिवादी की संतुष्टि के बारे में उनकी रायष्षामिल है। जुटाए गए प्राथमिक आकड़ों के आधार पर, आयु समूह और उनके प्रतिषत के आधार पर उत्तरदाताओं को वितरण निम्नलिखित हैः

- 51.81% उत्तरदाता 30 वर्ष की आयु वर्ग के है।
- 35.5% उत्तरदाता 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के है।
- 12.7% उत्तरदाता 40 वर्षसे अधिक आयु वर्ग के हैं।

➢ तालिका संख्या–1, कानपुर नगर में उत्तरदाताओ की आयु संरचना

क०सं०	आयु संरचना(वर्ष मे ं)	उत्तरदाताओं की संख्या	(% में)
1	30 से कम	57	51.81
2	30 से 40	39	35.46
3	40 से ऊपर	14	12.73
कुल योग		**110**	**100%**

➢ स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2023

तलिका संख्या–1 उत्तरदाताअें की आयु संरचना की समझ प्रदान करने के साथ आयु संरचना का विष्लेषण भी करती है, इसमें कुल उत्तरदाताओं की संख्या 110 है। उत्तरदाताओं

में 30 वर्षसे कम महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 57 है, जिसका कुल 51.81प्रतिषत है। इसका सीधा तातपर्य यह है कि स्वयं सहायता समूह में कुल महिलाओं की उपस्थिति 30 वर्ष से कम महिलाओं द्वारा सर्वाधिक है। दूसरी ओर 30 से 40 वर्षतक की महिलाओं की कुल संख्या 39 है, जिसका कुल 35.4प्रतिषत है। जिसका तात्पर्य यह है कि स्वयं सहायता समूह में 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओ का प्रतिनिधित्व सबसे कम है यह जांच के तहत विषय के संबंध में विभिन्न आयु समूहों की राय और दृष्टिकोण का विष्लेषण करने में सहायक हो सकता है।

➢ **तालिका संख्या–2, कानपुर नगर में उत्तरदाताओ की साक्षरता संरचना**

क०सं०	साक्षरता	महिलाओ की संख्या	(% में)
1	निरक्षर	12	10.91
2	साक्षर (लिखना + पढ़ना)	35	31.82
3	प्राथमिक षिक्षा (10वीं)	21	19.09
4	माध्यमिक षिक्षा (12वीं)	19	17.27
5	स्नातक	12	10.91
6	उच्च षिक्षा	5	4.56
7	व्यवसायिक षिक्षा	3	2.72
9	तकनीकी षिक्षा	3	2.72
कुल योग		**110**	**100%**

➢ **स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2023**

उपरोक्त तालिका संख्या–2 के आधार पर, कानपुर नगर में महिलाओ के बीच साक्षरता स्तर का उनके सम्बन्ध प्रतिषत के साथ अद्यतन किया गया है, सर्वेक्षण में षामिल महिलाओ की कुल संख्या 110 है, जो 100% नमूने का प्रतिनिधित्व करती है। निरक्षर श्रेणी में कुल 12 महिलाये है, जो सर्वेक्षण में षामिल महिलाओ की कुल संख्या का 10. 91% है जो वर्तमान षिक्षा की स्थिति को दर्षाता है। वही साक्षर श्रेणी में 35 महिलाये

साक्षर है, जो सर्वेक्षण में षामिल कुल महिलाओ का 31.82% है। प्राथमिक षिक्षा (10वीं) श्रेणी में कुल 21 महिलाये है, जो कुल का 19.09% है।

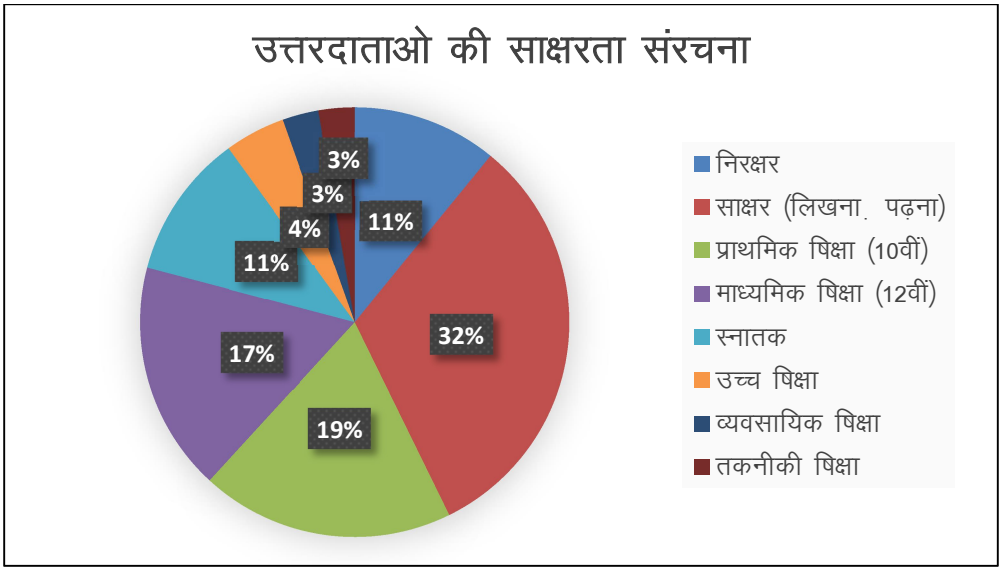

माध्यमिक षिक्षा (12वीं) श्रेणी में 19 महिलाये है, जो कुल का 17.27% है। स्नातक श्रेणी में कुल 12 महिलाये है, जो कुल का 10.91% है। उच्च षिक्षा श्रेणी में 5 महिलाये है, जो कुल का 4.56% हैं। व्यवसायिक षिक्षा श्रेणी में 3 महिलाये है, जो कुल का 2.72% है। तकनीकी षिक्षा श्रेणी में 3 महिलाये है, जो कुल का 2.72% है।

तालिका संख्या–3, कानपुर नगर में स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ की भागीदारी

क्र० सं०	महिलाओ की औसत संख्या	स्वयं सहायता समूहो की संख्या	(% में)
1	3 से कम	53	48.18
2	3–5	31	28.18
3	5–7	11	10
4	7–9	9	8.18
5	9–11	4	3.63
6	11 से ऊपर	2	1.81

कुल योग	110	100%

स्त्रोत प्राथमिक सर्वेक्षण 2023

तालिका संख्या–3 के आधार पर यह ज्ञात होता है कि कुल स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ की भागीदारी काफी कम है, जिसकी पुष्टि महिलाओ की औसत संख्या जो कि 3 से कम है 48. 18% है जो कि कुल महिला उत्तरदाताओ का लगभग आधा है। वही स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ की भागीदारी 3 – 5 के मध्य 28.18% है जो कुल महिला उत्तरदाताओ का एक चौथाई से भी अधिक है। क्र० सं० 1 और 2 ही कुल उत्तरदाता महिलाओ का दो चौथाई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि महिलाओ की भागीदारी कानपुर नगर में काफी कम है। स्वयं सहायता समूहो में महिलाओ की औसत संख्या 11 से अधिक सिर्फ 1.81% स्वयं सहायता समूहो में है।

यह विष्लेषण महिलाओ के बीच साक्षरता स्तर का विवरण प्रदान करता है, जो प्रत्येक श्रेणी में महिलाओ की संख्या और उनके सम्बन्धित प्रतिषत को दर्षाता हैं। कृपया ध्यान दे कि अतिरिक्त सन्दर्भ या विषिष्ट षोध उद्देष्यो के बिना, विष्लेषण प्रदान किये गये डेटा तक ही सीमित है।

महिला साक्षरता एवं स्वयं सहायता समूह के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध

महिला साक्षरता एवं स्वयं सहायता समूह महिलाओ के लिये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मंच है, जहां महिलायें एक साथ आकर करके अपनी साक्षरता और आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाती है। इन समूहो में सदस्य महिलाये आपसी समरसता, विष्वास और सहयोग के साथ मिलकर अपने सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये सामरिक प्रयासो को संचालित करती है। पारस्परिक सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण तत्व है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यो के बीच विकसित होता है। इन समूहो में सदस्यो के बीच सम्बन्धो की मजबूती, विश्वास, सहयोग और सरमसता के माध्यम से समूह की सफलता की गारंटी होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पारस्परिक सम्बन्धो के उदाहरण हैः

I. **साझा समस्याओ के समाधानः** स्वयं सहायता समूह के सदस्यो के बीच साझा समस्याओ को उठाने और उन्हे समाधान करने के लिये एकजुट होना महत्वपूर्ण है। समूह के सदस्य एक दूसरे की समस्याओ पर सहानुभूति और समर्थन प्रदान करते है और सम्भावित समाधान के लिये एक साथ काम करते है।

II. **सहयोग का विकासः** सदस्यो के बीच सहयोग का विकास स्वयं सहायता समूह के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। महिलाये आपस में विचार विमर्ष करती है, अनुभव साझा करती है, एक दूसरे की क्षमताओ का समर्थन करती है और साथ ही आपसी रुप से सहायता और आदान–प्रदान करती है। इससे समूह के सदस्यो का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक और आर्थिक रुप से सुरक्षित महसूस करती है।

III. **साझा संसाधनो का उपयोग :** स्वयं सहायता समूह में सदस्य अपने संसाधनो को साझा कर सकती है जैसे की जमीन, वित्तीय संसाधन, ज्ञान और कौशल। यह समूह के सदस्यो को स्वयं सहायता के माध्यम से समृद्ध बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, सदस्य एक दूसरे के साझा संसाधनो का भी उपयोग कर सकती है, जिससे उन्हे संयुक्त रुप से लाभ मिलता हैं।

IV. **सामाजिक आदान–प्रदानः** स्वयं सहायता समूह में सदस्यो के बीच सामाजिक आदान–प्रदान के माध्यम से विश्वास और समरसता बढ़ती है। महिलाये आपस में विचारो, अनुभवो, परम्पराओ और सामाजिक मुद्दो का समर्थन करती है। इसके द्वारा समूह के सदस्यो का आपसी ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाता है।

महिला साक्षरता एवं साक्षर महिलाओ द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का सकारात्मक प्रभाव

I. **लिंग अन्तर को पाटनाः** एसएचजी में महिलाओ की साक्षरता की भूमिका की जांच करके, यह अध्ययन साक्षरता और सषक्तिकरण में लिंग अन्तर को सम्बोधित करने में योगदान देता है। यह एसएचजी के भीतर उनकी भागीदारी और निर्णय लेने को बढ़ाने के लिये

महिलाओ की साक्षरता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाष डालता है, जिससे अन्ततः अधिक लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन हो सके।

II. **एसएचजी को मजबूत बनानाः** इस षोध के निष्कर्ष कानपुर में एसएचजी को मजबूत करने के उद्देश्य से नितिगत चर्चाओ और हस्तक्षेपो को सूचित कर सकते है। महिलाओ की साक्षरता की भूमिका को समझने से एसएचजी कार्य प्रणाली को बढ़ाने, वित्तीय प्रबन्धन का सुधार करने और उद्यमषीलता विकास का समर्थन करने के लिये रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिससे एसएचजी सदस्यो की आर्थिक स्थिरता और सशक्तिकरण में होगी।

III. **महिला सषक्तिकरण को बढ़ानाः** अध्ययन एसएचजी में महिला साक्षरता से जुड़े सषक्तिकरण और आत्मविश्वास निर्माण के पहलुओ की पड़ताल करता है। महिलाओ की एजेंसी, निर्णय लेने की क्षमताओ और आर्थिक स्वतंत्रता पर साक्षरता के साकारातमक प्रभाव को उजागर करके, अनुसंधान महिला सषक्तिकरण पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है और प्रभावी सषक्तिकरण कार्यक्रमो को डिजाइन करने के लिये अर्न्तदृष्टि प्रदान करता है।

IV. **सूचना नीति और अभ्यासः** ष्षोध के निष्कर्ष उन नीतियों, कार्यक्रमो और पहले के विकास की जानकारी दे सकते है। जो महिलाओ की साक्षरता को बढ़ावा देते हैं और कानपुर में एसएचजी को मजबूत करते है। नीति निर्माता, सरकारी एजेंसिया, गैर सरकारी संगठन और अन्य हित धारक एसएचजी में महिला साक्षरता से सम्बन्धित विषिष्ट चुनौतियो और अवसरो को सम्बोधित करने वाले लक्षित हस्तक्षेपो को डिजाइन करने के लिये अनुसंधान परिणामो का उपयोग कर सकते है।

V. **ज्ञान आधार का निर्माणः** अध्ययन एसएचजी और महिला साक्षरता पर मौजूदा ज्ञान आधार में योगदान देता है, खासकर कानपुर नगर के सन्दर्भ में। अनुभवजन्य साक्ष्य और अर्न्तदृष्टि जोड़कर, यह अकादमिक साहित्य का विस्तार करता है और महिला

सषक्तिकरण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र मे सम्बन्धित विषयो के आगे के षोध और अन्वेषण के लिये आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट रुप से देखा गया है कि सभी स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता का औसत आकार 14 का था, जिसमें महिलाओं की सहभागिता काफी कम है जिसमें महिलाओं की साक्षरता की स्थिति का प्रभाव देखा जा सकता है। आंकड़े महिलाओं की स्वयं सहायता एवं आर्थिक सषक्तिकरण में उनकी भागीदारी को दर्षाते है।यह दर्षाता है कि अभी तक कानपुर नगर जिले में बहुत कम महिलायें उच्च संख्या में स्वयंसहायता समूहों में शामिल हो रही है। इसे समझा जा सकता है कि इस दिषा में अधिक प्रयासों की जरुरत है ताकि अधिक संख्या में महिलायें स्वयंसहायता समूहों में षामिल हो सके।

इस प्रभाव के अंतर्गत देखा गया है की वे साथ षुरु करते हैं और नियमित रुप से अपने सदस्यों को छोटे ब्याज वाले ऋण देते हैं। स्वयं सहायता समूहों के गठन का विजन है देष के समग्र विकास के लिए ग्रामीण गरीब महिलाओं को सषक्त बनाना। स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्वेष्य दृष्टिकोण गरीबी में कमी और महिला सषक्तिकरण के संदर्भ में ऋण तक पहुंच प्रदान कर रहा है। स्वयं सहायता समूह के संसाधनों के दोहन के अंतर्गत, साक्षरता एक अतिमहत्वपूर्ण घटक है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा वस्तु विषेष के प्रति संवेदनषील बनाता है जिससे वो अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर सके। इसी के अंर्तगत स्वयं सहायता समूह में उनका योगदान एवं रूचि दोंनों में वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूह गरीबी से नीचे की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके महिलाओं के सषक्तिकरण के लिए हैं परिवार के साथ साथ समाज में उनकी स्थिति में सुधार करने और बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण लोगों के बीच सामाजिक मुद्दे उन्हे बनाने के उद्देष्य से एक सही प्रकार की रणनीति के रुप में माना जाता है ग्रामीण महिलाओ के बीच उनकी आंतरिक शक्तियों के बारे में जागरूकता, स्वयं और सामूहिकता की भावना को बढाना प्रभावकारिता, व्यक्तिगत और

पारस्परिक संबधों, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के लिए कौषल विकसित करना। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सषक्त बनाने से न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को लाभ होगा बल्कि विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पूरे परिवार और समुदाय को भी उल्लेखनीय लाभ मिलेगा।

संदर्भ

1. थंगामणि, एस०, और मुथुसेल्वी, एस० (2013) कोयंबटूर जिले के मेट्टूपालयम तालुक के विषेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सषक्तिकरण पर एक अध्ययन। जर्नल आफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट 8 (6), पृष्ठ 17–24 ।
2. अग्रवाल, डी० (2001), स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सषक्तिकरणः राजस्थान में एक अध्ययन। जर्नल आफ सोषल वेलफयर एंड हयूमन राइट्स, 1 (2) पृष्ठ 123–137 ।
3. मणिमेकलाई, जे० और राजेश्वरी, आर० (2002), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से जमीनी स्तर पर उद्यमिता। इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली, 37 (42) पृष्ठ 4407–4411।
4. आनंद, जे० एस० (2002) महिलाओं को सषक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहः चयनित स्वयं सहायता समूहों और पड़ोस समूहों (एनएचजी) का केस अध्ययन।
5. राव, वी० (2003) स्वयं सहायता समूह और सामाजिक परिवर्तन। इकोनामिक एंड पालिटकल वीकली, 38 (11), पृष्ठ 1047–1053 ।
6- राजमोहन, एस० (2005), स्वय सहायता समूह के सदस्यों की राय० जर्नल आफ सोसल साइंसेज 1 (3), पृष्ठ 167–172 ।
7- पाण्डेय, पी.एन. (1988), एजुकेषन एण्ड सोषल मोबिलिटी, दया पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली।